1

17
6/1/20

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक : एफ (1)/1(204) आ.उ./पीएडी अनु./मृ.आ.नि./2019 दिनांक : 01-01-2020

:: आदेश ::

श्री किशोर सिंह जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर जिला उद्योग केन्द्र, धौलपुर में कार्यरत थे, का आकस्मिक निधन दिनांक 01.03.2019 को राजकीय सेवा में रहते हुए हो गया था। श्री हरेन्द्र कुमार उनके पुत्र है और उन पर पूर्णतः आश्रित थे। श्री हरेन्द्र कुमार ने राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया है। श्री हरेन्द्र कुमार विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य पाये गये है।

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हरेन्द्र कुमार की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की जाती है। श्री हरेन्द्र कुमार का पदस्थापन कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, धौलपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद के प्रति किया जाता है। श्री हरेन्द्र कुमार को राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अस्थाई आधार पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक 12400/–रूपये प्रतिमाह पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होंगे। तत्पश्चात् परिवीक्षाधीन अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम–2017 के पे–मेट्रिक्स लेवल–1 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन तथा नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

श्री हरेन्द्र कुमार की जन्मतिथि पांचवीं कक्षा उत्त्तीर्ण की टी.सी. (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) के आधार पर 12.08.1993 है तथा इनकी शैक्षणिक योग्यता पांचवीं कक्षा उत्त्तीर्ण है। श्री हरेन्द्र कुमार प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार मौहल्ला–ग्रांडील, बजरिया, जिला–धौलपुर, राजस्थान के निवासी है एवं धोबी जाति, अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

नियुक्ति की शर्तें :–

1. यह नियुक्ति अस्थाई है। अभ्यर्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के प्रावधानानुसार 2 वर्ष तक परिवीक्षाधीन अवधि में रहेगा।
2. परिवीक्षा अवधि में कोई कोई वार्षिक वेतनवृद्धियां देय नहीं होगी।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. नियुक्ति आदेश जारी होने से 4 सप्ताह तक की अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
5. राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) राज., जयपुर की अधिसूचना दि. 27.2.2001 के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण पोषण नहीं करने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) के आदेश दिनांक 20.6.01 के अनुसार यदि श्री हरेन्द्र कुमार के दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होने के कारण यह नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जायेगा।
7. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

8. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या प.13(1)वित्त/नियम/2013 दि.28.01.2004,27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
आयुक्त, उद्योग

कमांक : एफ (1)/1(204) आ.उ./पीएडी अनु./मृ.आ.नि./2019 दिनांक : 01-01-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, धौलपुर को **रजिस्टर्ड डाक** द्वारा प्रेषित कर लेख है कि श्री हरेन्द्र कुमार के मूल चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु संलग्न है। कार्यग्रहण कराने से पूर्व इनसे दहेज नहीं लेने/देने संबंधी शपथ पत्र, विवाहित होने पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र एवं सन्तान संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करें तथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों की एक सत्यापित प्रति प्राप्त कर उसकी पुष्टि करेंगे व कार्मिक के कार्यग्रहण की सूचना नियुक्ति शाखा, मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
2. उप निदेशक, उद्योग (कम्प्यूटर अनुभाग), मुख्यालय,जयपुर।
3. श्री हरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री किशोर सिंह, निवासी मौहल्ला–ग्रांडील, बजरिया, जिला– धौलपुर, राजस्थान को सूचनार्थ एवं पालनार्थ **रजिस्टर्ड डाक** द्वारा प्रेषित है।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

(एस.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक, उद्योग
(प्रशासन)